रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072026-274878
CG-DL-E-27072026-274878

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 608] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 27, 2026/श्रावण 5, 1948
No. 608] NEW DELHI, MONDAY, JULY 27, 2026/SHRAVAN 5, 1948

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 670(अ).— केन्द्रीय सरकार, सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 (2007 का 53) की धारा 155 की उपधारा (2) के खंड (क) और खंड (ग) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सशस्त्र सीमा बल योधक (जनरल डियूटी) समूह 'ग' पदों, भर्ती नियम, 2011 और सशस्त्र सीमा बल योधक, सहायक उप-निरीक्षक (साधारण ड्यूटी) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2011 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन, सशस्त्र सीमा बल में सहायक उप-निरीक्षक (जनरल डियूटी), हैड कांस्टेबल (जनरल डियूटी) और कांस्टेबल (जनरल डियूटी) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सशस्त्र सीमा बल, योधक (जनरल डियूटी), समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.– ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में यथा विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.– उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होगें, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.– उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निरर्हता.– वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या,

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. चिकित्सक दृष्टया योग्यता.– इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति जो चिकित्सा प्रवर्ग शेप-1 में हैं, इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र होंगे ।

स्पष्टीकरण.– इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "शेप-1" चिकित्सा प्रवर्ग अभिप्रेत है, कोड अक्षर शेप जो निम्नलिखित कृत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, द्वारा उपदर्शित दिए गए घटकों के अधीन अधिकारी की योग्यता का निर्धारण करने के पश्चात् चिकित्सा आधिकारी द्वारा किया गया चिकित्सा वर्गीकरण :-

एस - मनोवैज्ञानिक;

एच - श्रवण शक्ति;

ए - उपांग;

पी - शारीरिक क्षमता; और

ई - दृष्टि शक्ति ।

7. अधिवर्षिता.– इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति उस मास के, जिसमें वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करता है अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत होगाः

परन्तु वह व्यक्ति जिसकी जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख होगी, साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम तारीख के अपराह्न में सेवानिवृत होगा ।

8. सेवा का दायित्व.– इन नियमों के अधीन उक्त पदों पर नियुक्त कोई व्यक्ति भारत या विदेश में कहीं भी सेवा करने का दायी होगा।

9. अन्यदेशीय अपात्रता.– कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, लिखित में केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय, इन नियमों के अधीन नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

परन्तु इस नियम में अंतर्विष्ट कोई बात सशस्त्र सीमा बल में नेपाल या भूटान के नागरिक की नियुक्ति या नियोजन को वर्जित नहीं करेगी ।

10. निर्वचन.– यदि इन नियमों के निर्वचन की बाबत कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसके विनिश्चय के लिए केन्द्रीय सरकार को भेजा जाएगा ।

11. शिथिल करने की शक्ति.– जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

12. व्यावृति.–इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडें वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, पूर्व अग्निवीरों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पदों का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।
(1)	(2)	(3)	(4)
1 सहायक उप-निरीक्षक (जनरल डियूटी) ।	5886* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, योधक ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रू.) ।
चयन पद या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।
(5)	(6)	(7)	(8)
अचयन पद ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	(i) प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; या (ii) प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन द्वारा (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नतिः (i) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रू.) में सशस्त्र सीमा बल के ऐसे हैड कांस्टेबल (जनरल डियूटी) जिन्होंने पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है और महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट प्रोन्नति पूर्व पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया हो और चिकित्सा प्रवर्ग शेप-1 में होना चाहिए; और (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रू.) में ड्यूटी बटालियन में और गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांतो के अनुसार हैड कांस्टेबल (जनरल डियूटी) के रूप में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो । **टिप्पण 1**.– जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी

अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2.– राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों में प्रतिनियुक्ति या पदस्थापना या संयोजन के आधार पर कि गई सेवा को प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए अपेक्षित क्षेत्र सेवा के पचास प्रतिशत के रूप में माना जाएगा और ऐसे मामलों में शेष पचास प्रतिशत अनिवार्य सेवा के बाबत कोई शिथलीकरण नहीं किया जाएगा।

प्रतिनियुक्ति:

केंद्रीय पुलिस संगठनों या राज्यों के पुलिस संगठनों या संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस संगठनों के अधिकारी,–

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रु.) या समतुल्य में ऐसे हैड कांस्टेबल (जनरल डियूटी) जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो:–

(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण;
(ii) चिकित्सा प्रवर्ग शेप-I में होना चाहिए।

टिप्पण 1 .– पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2.– प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत् केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 .– प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन द्वारा (भूतपूर्व सैनिकों के लिए):

सशस्त्र बलों के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हैं। यदि ऐसे अधिकारियों का चयन हो जाता है तो उन्हें उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्बधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। अभ्यर्थी चिकित्सा प्रवर्ग शेप-I में होना चाहिए।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग', विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगेः– 1. उपमहानिरीक्षक, सशस्त्र सीमा बल - अध्यक्ष;	लागू नहीं होता।

2. कमांडेंट, सशस्त्र सीमा बल -सदस्य; 3. उप कमांडेंट या सहायक कमांडेंट, सशस्त्र सीमा बल - सदस्य।	

(1)	(2)	(3)	(4)
2. हैड कांस्टेबल (जनरल डियूटी)।	13358* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, योधक।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रू.)।
(5)	(6)	(7)	(8)
अचयन पद।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(9)	(10)
लागू नहीं होता।	(i) प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; या (ii) प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन द्वारा (भूतपूर्व सैनिकों के लिए)।

(11)

प्रोन्नति:

(क) (i) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 (21700-69100 रु.) में सशस्त्र सीमा बल के ऐसे नायक (जनरल डियूटी), जिन्होंने पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जिसने किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो या विभागीय अर्हक द्वितीय श्रेणी शैक्षिक परीक्षा के आधार पर और महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल द्वारा समय समय पर यथाविनिर्दिष्ट प्रोन्नति पूर्व पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया हो , अर्थात् —

(ii) चिकित्सा प्रवर्ग शेप-1 में होना चाहिए; या

(ख) (i) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 (21700-69100 रु.) में सशस्त्र सीमा बल के ऐसे लांस नायक (जनरल डियूटी), जिन्होंने पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जिसने किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो या विभागीय अर्हक द्वितीय श्रेणी शैक्षिक परीक्षा के आधार पर और महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट प्रोन्नति पूर्व पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया हो ; और

(ii) चिकित्सा प्रवर्ग शेप-1 में होना चाहिए; या

(ग) (i) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 (21700-69100 रु.) में सशस्त्र सीमा बल के ऐसे कांस्टेबल (जनरल डियूटी), जिन्होंने पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जिसने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो या विभागीय अर्हक द्वितीय श्रेणी शैक्षिक परीक्षा के आधार पर और महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट प्रोन्नति पूर्व पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया हो ;

(ii) चिकित्सा प्रवर्ग शेप-1 में होना चाहिए; और

(iii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 (21700-69100 रु.) में ड्यूटी बटालियन में और गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांतो के अनुसार कांस्टेबल (जनरल डियूटी) के रूप में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो;

टिप्पण 1.– नायक (जनरल डियूटी), लांस नायक (जनरल डियूटी) और कांस्टेबल (जनरल डियूटी) के पदों को सम्मिलित होने के पश्चात् उनकी ज्येष्ठता कांस्टेबल (जनरल डियूटी) के रूप में विद्यमान अधिक्रम के अनुसार बनाए रखी जाएगी। ज्येष्ठता पदधारी नायक (जनरल डियूटी) होगा फिर लांस नायक (जनरल डियूटी) और अंतिम रूप के कांस्टेबल (जनरल डियूटी) पद, नायक या लांस नायक के कुल पद समाप्त होने के पश्चात् आएगा।

टिप्पण 2.– जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 3.– राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों में प्रतिनियुक्ति या पदस्थापना या संयोजन के आधार पर कि गई सेवा को प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए अपेक्षित क्षेत्र सेवा के पचास प्रतिशत के रूप में माना जाएगा और ऐसे मामलों में शेष पचास प्रतिशत अनिवार्य सेवा के बाबत कोई शिथलीकरण नहीं किया जाएगा।

प्रतिनियुक्ति:
केंद्रीय पुलिस संगठनों या राज्यों के पुलिस संगठनों या संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस संगठनों के अधिकारी,–

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 (21700-69100 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर कांस्टेबल (जनरल डियूटी) के पद पर नियुक्ति के प्रश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो:–

(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण;

(ii) चिकित्सा प्रवर्ग शेप-I में होना चाहिए।

टिप्पण 1.– पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 .– प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत् केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 .– प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन द्वारा (भूतपूर्व सैनिकों के लिए):

सशस्त्र बलों के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के लिए अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। यदि ऐसे अधिकारियों का चयन हो जाता है तो उन्हे उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्बधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। अभ्यर्थी चिकित्सा प्रवर्ग शेप-I में होना चाहिए।

(12)	(13)
समूह 'ग', विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे:– 1. कमांडेंट, सशस्त्र सीमा बल - अध्यक्ष; 2. द्वितीय कमान अधिकारी या उप कमांडेंट, सशस्त्र सीमा बल -सदस्य;	लागू नहीं होता।

3. सहायक कमांडेंट, सशस्त्र सीमा बल - सदस्य।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. कांस्टेबल (जनरल डियूटी)।	54109* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, योधक।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21700-69100 रू.)।	लागू नहीं होता।

(6)
आयु 18 और 23 वर्ष के बीच। (अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अभ्यार्थीयों की दशा में पांच वर्ष और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यार्थीयों की दशा में तीन वर्ष आयु शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1.**–आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग या संबंधित नोडल बल द्वारा विज्ञापित की जाए। **टिप्पण 2.**– पूर्व अग्निवीर के पहले बैच के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु-सीमा पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 3.**– पूर्व अग्निवीर अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु-सीमा तीन वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।

(7)
(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक या समतुल्य या भूतपूर्व सैन्य कार्मिकों की दशा में समतुल्य सैन्य अर्हता। (ii) कांस्टेबल (जनरल डियूटी) के पद में भर्ती के लिए शारीरिक और चिकित्सा मानदंड केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विहित स्कीम के अनुसार लागू होंगे। (iii) भर्ती के लिए विज्ञापन में उल्लिखित कांस्टेबल (जनरल डियूटी) पद के लिए यथाविहित शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा में अर्हक होना चाहिए। टिप्पण.– भूतपूर्व अग्निवीरों को लिखित परीक्षा, शारिरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण से छूट होगी।

(8)	(9)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष। टिप्पण.– सीधी नियुक्ति पर अभ्यर्थियों को अपनी नियुक्ति की तारीख से परिवीक्षा अवधि के भीतर महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण या आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों में सफलतापूर्वक अर्हता प्राप्त करनी होगी, जिसके न हो सकने पर उनका या उसकी सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं।

(10)
(क) पचास प्रतिशत सीधे भर्ती द्वारा जिसमें सम्मिलित है, (i) दस प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों द्वारा, (ii) ढाई प्रतिशत रिमुस्ट्रेशन के माध्यम से, (iii) पाँच प्रतिशत उत्कृष्ट खिलाड़ियों द्वारा। जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन द्वारा, और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। (ख) पचास प्रतिशत रिक्तियां पूर्व अग्निवीरों के लिए। **टिप्पण 1.**– प्रत्येक भर्ती वर्ष में कांस्टेबल (जनरल डियूटी) के पद पर भर्ती के लिए रिक्तियों का पचास प्रतिशत पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होगा। **टिप्पण 2.**– पहले चरण में, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए चिन्हित पचास प्रतिशत रिक्तियों के लिए भर्ती नोडल बल द्वारा की जाएगी।

टिप्पण 3.– दूसरे चरण में, गृह मंत्रालय सशस्त्र सीमा बल, योधक (जनरल ड्यूटी), समूह 'ग' पद पर भर्ती नियम, 2026 के प्रकाशन की तारीख तक विद्यमान उपबंधों के अनुसार शेष पचास प्रतिशत रिक्तियों के साथ-साथ पहले चरण की ऐसी रिक्तियां, जो न भरी गई है, अप्रतिबद्ध (खुली) परीक्षा या केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार भर्ती की जाएगी।

टिप्पण 4.– विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण के विद्यमान उपबंध दोनों चरणों के लिए लागू होंगे।

(11)

रिमुस्ट्रेशन:

वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 (21700-69100 रु.) में ऐसे कांस्टेबल (ट्रेड्समैन), वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 (21700-69100 रु.) में ऐसे कांस्टेबल (आर्डलीज), जिन्होंने न्यूनतम तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर हो और साधारण अभ्यर्थियों की दशा में पैंतीस वर्ष से कम आयु के हों और स्थानांतरण की तारीख को केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु-सीमा में पांच वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष प्रवर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए तीन वर्ष तक शिथिल की जाएगी और जो स्तंभ (7) में यथाविहित शैक्षिक अर्हताएं और शारीरिक मानदंडो को पूरा करते हों।

प्रतिनियुक्ति:

केंद्रीय पुलिस संगठनों या राज्यों के पुलिस संगठनों या संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस संगठनों के अधिकारी,–

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 (21700-69100 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर कांस्टेबल (जनरल डियूटी) के पद पर नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्ष की सेवा की हो; और

(iii) अभ्यर्थी चिकित्सा प्रवर्ग शेप-1 में होना चाहिए; या

(ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो।

टिप्पण 1.– पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 .– प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत् केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 .– प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन द्वारा (भूतपूर्व सैनिकों के लिए):

सशस्त्र बलों के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के लिए अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं, यदि ऐसे अधिकारियों का चयन हो जाता है तो उन्हें उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्बधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। अभ्यर्थी चिकित्सा प्रवर्ग शेप-I में होना चाहिए।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. कमांडेंट, सशस्त्र सीमा बल - अध्यक्ष;	लागू नहीं होता।

2. द्वितीय कमान अधिकारी या उप कमांडेंट, सशस्त्र सीमा बल -सदस्य; 3. सहायक कमांडेंट, सशस्त्र सीमा बल - सदस्य।	

[फा. सं. 4/3/एसएसबी/सीएससी/वाहिनी/समूह 'ग'/2023/एसएफएस]

मनीष मृणाल, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2026

G.S.R. 670(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (a) and (c) of sub-section (2) of section 155 of the Sashastra Seema Bal Act, 2007 (53 of 2007) and in supersession of the Sashastra Seema Bal Combatised (General Duty) Group 'C' posts Recruitment Rules, 2011 and the Sashastra Seema Bal Combatised Assistant Sub-Inspector (General Duty) Group 'C' posts Recruitment Rules, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant Sub-Inspector (General Duty), Head Constable (General Duty) and Constable (General Duty) in the Sashastra Seema Bal, under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. Short title and commencement.– (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Sashastra Seema Bal, Combatised (General Duty), Group 'C' Posts, Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.–These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix.– The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.–The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification.–No person,–

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Medical fitness.– Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in the medical category of SHAPE-1, shall be eligible for appointment under the provisions of these rules.

Explanation.– For the purposes of this rule, 'SHAPE-I' means medical category specified as medical classification done by medical officer after assessing fitness of the officer under the given factors indicated by the code letters SHAPE, which represent the following function, namely:-

S	-	Psychological;
H	-	Hearing;
A	-	Appendages;
P	-	Physical capacity; and
E	-	Eye sight.

7. Superannuation.– A person appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he or she attains the age of sixty years:

Provided that a person whose date of birth is the first day of a month, shall retire from service in the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of superannuation.

8. Liability of service.–Any person, appointed to the said posts under these rules shall be liable to serve anywhere in India or abroad.

9. Ineligibility of aliens.– No person, who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of the Central Government in writing, be appointed under these rules:

Provided that nothing contained in this rule shall debar the appointment or employment of a subject of Nepal or Bhutan in the Sashastra Seema Bal.

10. Interpretation.– If any question relating to the interpretation of these rules arises, it shall be referred to the Central Government for decision.

11. Power to relax.– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

12. Saving.– Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the ex-Servicemen, Ex-Agniveers and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Assistant Sub-Inspector (General Duty).	5886* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Combatised.	Level-5 in the pay matrix (Rs.29200-92300).
Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(5)	(6)	(7)	(8)
Non-selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(9)	(10)
Not applicable.	(i) By promotion, failing which by deputation; or (ii) By deputation or re-employment (For ex-servicemen).

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(11)
Promotion: (i) Head Constable (General Duty) of the Sashastra Seema Bal in level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) with five years regular service and who have successfully completed pre-promotional course or courses as specified by the Director General, Sashastra Seema Bal from time to time and shall be in medical category SHAPE-I ; and (ii) Two years regular service as Head Constable (General Duty) in Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) in a duty battalion, and as per guidelines issued by the Ministry of Home Affairs from time to time. **Note 1.–** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2.–** The service rendered on deputation or posting or attachment basis in a National Level Training Institutions shall be treated as fifty per cent. of the required field service for the purpose of promotion and no relaxation in respect of the remaining fifty per cent. mandatory service shall be granted in such case. Deputation: Officers of the Central Police Organisations or State Police Organisations or Union territories Police Organisations,– (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years service rendered after appoint to the post on a regular basis in the grade of Head Constable (General Duty) in level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- (i) 10^{th} class pass from a recognised Board; (ii) shall be in medical category SHAPE-I. **Note 1.–** The departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2.–** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3.–** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. Deputation or re-employment (For Ex-servicemen): The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the qualifications and experience prescribed for deputationists, shall also be considered for deputation. If selected, such officers shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces and thereafter, they may be continued on re-employment terms. The candidates shall be in the medical category SHAPE-I.

If a Departmental Promotional Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group ‘C’ Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Deputy Inspector General, Sashastra Seema Bal – Chairperson; 2.Commandant, Sashastra Seema Bal – Member; 3. Deputy Commandant or Assistant Commandant, Sashastra Seema Bal – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)
2. Head Constable (General Duty).	13358* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘C’, Non-Gazetted, Non-Ministerial, Combatised.	Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100).

(5)	(6)	(7)	(8)
Non-selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(9)	(10)
Not applicable.	(i) By promotion, failing which by deputation; or (ii) By deputation or re-employment (For ex-servicemen).

(11)
Promotion: (a) (i) Naik (General Duty) of Sashastra Seema Bal in level-3 in the pay matrix (Rs.21700-69100) and with five years regular service and who possess 10^{th} class pass from a recognised Board or on the basis of Departmental qualifying second level examination and who have successfully completed pre-promotional course or courses as specified by the Director General, Sashastra Seema Bal from time to time; and (ii) shall be in medical category SHAPE-I; or (b) (i) Lance Naik (General Duty) of Sashastra Seema Bal in level-3 in the pay matrix (Rs.21700-69100) and with five years regular service and who possess 10^{th} class pass from a recognised Board or on the basis of Departmental qualifying second level examination and who have successfully completed pre-promotional course or courses as specified by the Director General, Sashastra Seema Bal from time to time; and (ii) shall be in medical category SHAPE-I; or (c) (i) Constable (General Duty) of Sashastra Seema Bal in level-3 in the pay matrix (Rs.21700-69100) and with five years regular service and who possess 10^{th} class pass from a recognized Board or on the basis of Departmental qualifying second level examination and who have successfully completed pre-promotional course or courses as specified by the Director General, Sashastra Seema Bal from time to time; and (ii) shall be in medical category SHAPE-I; and (iii) two years regular service as Constable (General Duty) in level-3 in the pay matrix (Rs.21700-69100) in a duty battalion, and as per guidelines issued by Ministry of Home Affairs from time to time; **Note 1.–** After clubbing the posts of Naik (General Duty), Lance Naik (General Duty) and Constable (General Duty) as Constable (General Duty) their seniority shall be maintained as per the existing hierarchy. The senior most incumbent shall be Naik (General Duty) then Lance Naik (General Duty) and finally Constable (General Duty) shall come after the posts of Naiks (General Duty) or Lance Naiks (General Duty) are totally exhausted. **Note 2.–** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and

have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 3.– The service rendered on deputation or posting or attachment basis in a National Level Training Institutions shall be treated as fifty per cent. of the required field service for the purpose of promotion and no relaxation in respect of the remaining fifty per cent. mandatory service will be granted in such case.

Deputation:
Officers of the Central Police Organisations or State Police Organisations or Union territories Police Organisations,–

(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or

(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment to the post of Constable (General Duty) on a regular basis in level-3 in the pay matrix (Rs.21700-69100) or equivalent in the parent cadre or Department; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:-

(i) 10^{th} class pass from a recognised Board;

(ii) shall be in medical category SHAPE-I.

Note 1.– The departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2.– The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3.– The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

Deputation or re-employment (For Ex-servicemen):

The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the qualifications and experience prescribed for deputationists, shall also be considered for deputation. If selected, such officers shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces and thereafter, they may be continued on re-employment terms. The candidates shall be in the medical category SHAPE-I.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Commandant, Sashastra Seema Bal – Chairperson; 2. Second-In-Command or Deputy Commandant, Sashastra Seema Bal – Member; 3. Assistant Commandant, Sashastra Seema Bal – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Constable (General Duty).	54109* (2026) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Combatised.	Level-3 in the pay matrix (Rs.21700-69100).	Not applicable.

(6)
Between 18 and 23 years. (Five years age relaxation in case of Schedule Castes or Schedule Tribes and three years in case of Other Backward Classes candidates.) **Note 1.–** The crucial date for determination of the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission or the concerned Nodal Force.

Note 2:- The upper age-limit shall be relaxable upto five years for the candidates of the first batch of Ex-Agniveers.

Note 3:- The upper age-limit shall be relaxable upto three years for the candidates of Ex-Agniveers.

(7)

(i) Matric or equivalent from a board or university recognized by the Central Government or State Government or equivalent Army qualification in case of Ex-Army personnel.

(ii) Physical and Medical Standard for recruitment to the post of Constable (General Duty) shall be applicable as per Scheme prescribed by the Central Government from time to time.

(iii) Must qualify Physical Efficiency Test and written examination as prescribed for Constable (General Duty) mentioned in the advertisement for recruitment.

Note .– Ex-Agniveers shall be exempted from written examination, Physical Standard Test and Physical Efficiency Test.

(8)	(9)
Not applicable.	Two years. **Note 1.–** Candidates on direct appointment shall qualify mandatory induction training or Basic Training Course or Courses as specified by Director General, Sashastra Seema Bal from time to time within probation period from his/her date of appointment, failing which his/her services are liable to be terminated.

(10)

(a) Fifty percent. by direct recruitment including,

(i) ten percent. by ex-servicemen,
(ii) two and half percent. by remusteration,
(iii) five percent. by sports person,
failing which by deputation or re-employment, failing both by direct recruitment.

(b) Fifty percent. vacancies for Ex-Agniveers.

Note 1.– Fifty percent. vacancies shall be reserved for Ex-Agniveers for recruitment to the post of Constable (General Duty) in every recruitment year.

Note 2.– In the first phase, the recruitment will be conducted by the Nodal Force for fifty percent. vacancies earmarked for Ex-Agniveers or as per the instructions issued by the Central Government from time to time.

Note 3.– In the second phase, recruitment will be conducted through Open Competitive Examination as per the existing provisions on the date of the publication of the Ministry of Home Affairs, Sashastra Seema Bal, Combatised (General Duty), Group 'C' Posts, Recruitment Rules, 2026 against the remaining fifty percent. of the vacancies along with the unfilled vacancies of the first phase or as per the instructions issued by the Central Government from time to time.

Note 4.– The existing provisions of reservation for various categories will be applicable for both phases.

(11)

Remusteration:
From Constable (Tradesmen) in level-3 in the pay matrix (Rs.21700-69100), Constable (Orderlies) in level-3 in the pay matrix (Rs.21700-69100), who have completed minimum three years of regular service and are below thirty five years of age in case of general candidates and the upper age-limit shall be relaxable upto the age of five years for the candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and upto age of three years for the candidates belonging to the Other Backward Class and special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government on the date of transfer and fulfilling the educational qualifications and physical standards as prescribed in column (7).

Deputation:
Officers of the Central Police Organisations or State Police Organisations or Union territory Police Organisations,–

(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or

(ii) with three years' service in the grade rendered after appointment to the post of Constable (General Duty) on a regular basis in level-3 in the pay matrix (Rs.21700-69100) or equivalent in the parent cadre or department; and

(iii) the candidates shall be in medical category SHAPE-I; or

(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

Note 1.– The departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2.– The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government shall orderly not exceed three years.

Note 3.– The maximum age-limit for appointment by deputation including short term contract shall not be exceeding fifty-six years, as on the closing date of receipt of applications.

Deputation or re-employment (For Ex-Servicemen):

The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed for deputationists, shall also be considered for deputation. If selected, such officers shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces and thereafter, they may be continued on re-employment terms. The candidates shall be in the Medical category SHAPE-I.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Commandant, Sashastra Seema Bal – Chairperson; 2. Second-in-command or Deputy Commandant, Sashastra Seema Bal – Member; 3. Assistant Commandant, Sashastra Seema Bal – Member.	Not applicable.

[F. No. 4/3/SSB/CSC/Bn/GD/Gp'C'/2023/SFS]

MANISH MRINAL, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA